हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 27 मार्च, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–112/2025.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक (2025 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 27 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई–गजट) में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(यशपाल)
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 4 का संशोधन।
3. धारा 49 का संशोधन।
4. धारा 50 का संशोधन।
5. धारा 51 का संशोधन।
6. धारा 63 का संशोधन।
7. धारा 63 क का अन्तःस्थापन।
8. धारा 68 क का अन्तःस्थापन।
9. धारा 170–क का अन्तःस्थापन।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025

.(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम,1954 (1954 का अधिनियम संख्याक 6) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के छिहत्तरतें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. **धारा 4 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 के खण्ड (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

(9) ''भू–स्वामी'' से, भूमि का भू–स्वामी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति है जिसको इस अधिनियम के अधीन भू–राजस्व के बकाया या इस प्रकार बकाया के रूप में वसूलीय रकम की वसूली के लिए कोई जोत अन्तरित की गई है या खेत में कोई सम्पदा या उप–सम्पदा या जोत किराए पर दी गई है तथा इस खण्ड में यहां इसमें वर्णित प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई सम्पदा या कोई उप–सम्पदा या उसका कोई अंश या भाग है या जो किसी सम्पदा या उप–सम्पदा के लाभों के किसी भाग का उपभोग करता है, सिवाय किसी अतिचारी के, जो भूमि के अधिभोग का हकदार नहीं है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई काश्तकार या भू–राजस्व का अभिहस्तांकिती नहीं हैं;''।

3. **धारा 49 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 49 की उप धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''(2क) उप धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, वहां यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, पूर्णतया या ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी भूमि को, भू–राजस्व के संदाय से सम्पूर्ण दायित्व या उसके किसी भाग से, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेगी। ''।

4. **धारा 50 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 50 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

(ख) निर्धारण वृत्त या उसके भाग में अकृषि उपयोग के लिए रखी गई भूमि के विशेष निर्धारण की दशा मेः–

(i) स्थलों के प्रवर्ग, और वर्ग के औसत शुद्ध भाटक मूल्य, या

(ii) जहां किसी भी कारण से, शुद्ध भाटक मूल्य अभिनिश्चय करना सम्भव न हो, तो यथा अवधारित विहित रीति में औसत बाजार मूल्य पर;

(iii) किसी अन्य आधार पर जैसा कि विहित किया जा सकेगाः

परन्तु निर्धारण को जारी रखने हेतु नियत अवधि या धारा 51 में उपबंधित सीमा या किसी क्षेत्र को शहरी निर्धारण वृत्त घोषित किए जाने के होते हुए भी जब धारा 63 के अधीन विशेष निर्धारण किया जाता है तो भू–राजस्व, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, एक मुश्त या किस्तों में संदेय नियत वार्षिक प्रभार के रूप में निर्धारित किया जा सकेगा।

5. **धारा 51 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 51 के खण्ड (ख) में, "दो से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. **धारा 63 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 63 में,–

(क) उप–धारा (1) में,

(i) खण्ड (ख) में, "या अनुदत्त होने पर" शब्दों के स्थान पर; "गैर वन प्रयोजनों के लिए अनुदत्त या अपयोजित की गई वन भूमि होने पर;" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खण्ड (छ) में, "इस प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर "परियोजनाओं या किसी अन्य प्रयोजन जो विहित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप–धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1क) विशेष निर्धारण के प्रयोजन के लिए राजस्व अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विभाग या प्राधिकरण या अभिकरण की सहायता ले सकेगा।

(1ख) राजस्व अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी भी उचित समय पर किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और इस अध्याय के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए जानकारी ले सकेगा।

7. धारा 63–क का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 63 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"63–क पर्यावरण उपकर.–(1) राज्य सरकार, धारा 63 के अधीन निर्धारित भू–राजस्व पर दो प्रतिशत से अनधिक पर्यावरण उपकर ऐसी दर और ऐसी रीति से उदगृहीत और संगृहीत कर सकेगी जैसी विहित की जाए।

(2) उप–धारा (1) के अधीन संगृहीत किए गए उपकर को जमा करने के लिए "पर्यावरण निधि" नामतः निधि स्थापित कर दी जाएगी।

(3) निधि, राज्य में पर्यावरण संरक्षण प्रारम्भ करने के लिए उपयोग की जाएगी।''।

8. धारा 68–क का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 68 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"68–क. भू–राजस्व या उपकर के संदाय में विलम्ब के लिए संदेय ब्याज.––यदि कोई भू–स्वामी भू–राजस्व या उपकर संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह देय भू–राजस्व पर उस तारीख से जिसमें ऐसा संदाय देय है, प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज संदत्त करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि ऐसी रकम वास्तव में संदत्त नहीं कर दी जाती है।";

9. धारा 170–क का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 170 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"170–क. विधिक कार्यवाहियों का वर्जन.–इस अधिनियम या उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या अधिसूचना या जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या कि जाने वाली आशयित किसी बात के लिए राजस्व अधिकारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।"।

उद्देश्य और कारणों का विवरण

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954, राज्य में भू–राजस्व प्रशासन को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढांचा है। पिछले कुछ वर्षों में, व्यावहारिक चुनौतियों और उभरती आवश्यकताओं ने प्रभावी राजस्व प्रबंधन, बेहतर प्र्यावरण संरक्षण उपायों और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कतिपय उपबंधों में संषोणन की आवश्यकता को जन्म दिया है। जनहित में निर्दिष्ट भूमि को भू–राजस्व भुगतान से छूट देने का उपबंध किया जा रहा है। यह उपबंध जन कल्याण और विकास के लिए लक्षित छूट के लिए लचीलापन सुनिश्चित करता है। "पर्यावरण उपकर" की शुरूआत से एक समर्पित "पर्यावरण कोष" का सृजन होगा। इस कोष का उपयोग सतत विकास लक्ष्यों के साथ संगत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयासों के लिए किया जाएगा। भू–राजस्व या उपकर के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज लगाने का उपबन्ध जोड़ा जा रहा है। इस उपाय का उद्येश्य भू–राजस्व आदि के समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करना है। प्रस्तावित विधेयक अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्ण कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों और अन्य अधिकृत व्यक्तियों के लिए कानूनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। यह सुरक्षा अधिकारियों को बिना किसी अनावश्यक चिंता के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार, प्रस्तावित विधेयक का उद्येश्य राजस्व प्रशासन को मजबूत करना, पर्यावरण जवाबदेही सुनिश्चित करना और प्रक्रियात्मक दक्षता में सुधार करना है। ये संशोधन जनहित में है और राज्य में भू–राजस्व कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

शिमला :
तारीखः.....2025

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4, 6 और 7 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु सशक्त करते हैं। शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्याक 6) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)
प्रधान सचिव विधि।

शिमला :
तारीखः....., 2025

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 7 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 4.
3. Amendment of section 49.
4. Amendment of section 50.
5. Amendment of section 51.
6. Amendment of section 63.
7. Insertion of section 63A.
8. Insertion of section 68A.
9. Insertion of section 170A.

Bill No. 7 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 4.—In the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 4, for clause (9), the following shall be substituted, namely:—

"(9) "landowner" means an owner of land, and includes a person to whom a holding has been transferred, or an estate or sub-estate or holding has been let in farm, under this Act for the recovery of an arrear of land revenue or of a sum recoverable as such an arrear, and every other person not hereinbefore in this clause mentioned who is in possession of an estate or sub-estate or any share or portion thereof, or in the enjoyment of any part of the

profits of an estate or sub-estate, except a tress passer who is not entitled to occupy the land; but does not include a tenant or an assignee of land revenue;".

3. Amendment of section 49.—In section 49 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the State Government is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may by notification in the Official Gazette, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein, any land, from the whole or any part of the liability of payment of land revenue with effect from such date as may be specified in such notification.".

4. Amendment of section 50.—In section 50 of the principal Act, for clause (b), the following shall be substituted, namely: —

(b) in the case of special assessment of land put to non agricultural use in an assessment circle or part thereof,—

(i) the average net letting value of a category and class of sites; or

(ii) where for any reason it is not possible to ascertain the net letting value, on the average market value of sites as determined in the manner prescribed; or

(iii) on any other basis as may be prescribed:

Provided that when a special assessment is made under section 63, notwithstanding the period fixed for the continuance of an assessment or the limit provided in section 51 or the area having been declared to be an urban assessment circle, the land revenue may be assessed as a fixed annual charge payable in a lump sum or by instalments in accordance with the rules made under this Act.

5. Amendment of section 51.—In section 51 of the principal Act, in clause (b), the words "two to" shall be omitted.

6. Amendment of section 63.—In section 63 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) in clause (b), for the words "or granted", the sign and words ", granted or forest land diverted for non forest purposes" shall be substituted; and

(ii) in clause (g), for the words "and other similar purposes", the sign and words ", projects or any other purpose as may be prescribed" shall be substituted; and

(b) after sub-section (1), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(1A) For the purpose of special assessment, the Revenue Officer, may take the assistance of any department or authority or agency, as may be notified, by the State Government.

(1B) The Revenue Officer or any other person, duly authorised by him, may enter at any reasonable time any place and take information for carrying out the purpose of this chapter.".

7. Insertion of section 63A.—After section 63 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: —

"63A. Environment Cess.—(1) The State Government may levy and collect environment cess not exceeding two percent on the land revenue assessed under section 63 at such rate and in such manner, as may be prescribed.

(2) There shall be established a fund called "Environment Fund" to credit the cess collected under sub-section (1).

(3) The fund shall be utilised for taking initiatives for protecting environment in the State.".

8. Insertion of section 68A.—After section 68 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: —

"68A. Interest payable for delay in payment of land revenue or cess.— If any landowner fails to pay land revenue or cess, he shall be liable to pay interest on the land revenue due at the rate of one percent for every month or part of a month from the date on which such payment is due till such amount is actually paid.".

9. Insertion of section 170A.—After section 170 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"170A. Bar to legal proceedings.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any Revenue Officer or any person for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance to the provisions of this Act or any rule or notification made or orders issued there under.".

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, is a comprehensive legal framework governing land revenue administration in the State. Over the years, practical challenges and emerging needs have necessitated amendments in certain provisions to ensure effective revenue management, improved environmental protection measures, and increased administrative efficiency. A provision is being made to exempt specified lands from land revenue payments in the public interest. This provision ensures flexibility for targeted exemptions for public welfare and development. The introduction of an "Environment Cess" will create a dedicated "Environment Fund." This fund will be utilised for initiatives aimed at environmental protection compatible with sustainable development goals. A provision is being inserted on impose interest for delayed payments of land revenue or cess. This measure intends to encourage timely payments of land revenue, etc. The proposed Bill also ensures legal protection for Revenue Officers and other authorised individuals acting in good faith under the Act. This safeguard is crucial to empower officials to discharge their duties without undue concern.

Thus, the proposed Bill aims at to strengthen the revenue administration, ensuring environmental accountability and improving procedural efficiency. The amendments are in public interest and essential for the effective implementation of land revenue laws in the State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The ……, 2025

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 4, 6 and 7 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Principal Secretary (Law)

SHIMLA:
The , 2025.